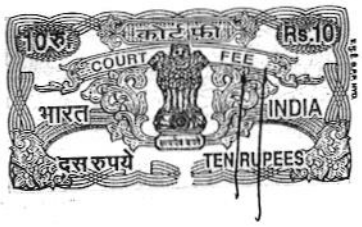

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

146

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R-1528-II/14

1. ज्ञान सिंह
2. हम्मीर सिंह — पुत्रगण लालाराम खंगार
3. बाबू सिंह
4. मुस. भाषणेंवारी बेबा लालाराम खंगार निवासी ग्राम भडौल तहसील इंदरगढ़ दतिया म.प्र.

——— आवेदकगण

बनाम

1. चन्दन सिंह
2. लाखन सिंह — पुत्रगण दयाराम खंगार सिंह
3. जहान सिंह
4. पंजाब सिंह — निवासी ग्राम भडौल तह. इंदरगढ़ जिला दतिया म.प्र.

——— अनावेदकगण

श्री एम.पी. धाकड़ - अभिभाषक द्वारा दिनांक 16-5-14 को प्रस्तुत।

16-5-14
रीडर ऑफ कोर्ट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 150/अपील/11—12 में पारित आदेश दिनांक 28—10—13 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

16'5'14

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, आवेदक क्रं. 1 लगायत 4 के पिता व 5 के पति स्व. लालाराम खंगार के नाम भडौल में 17/1 रकवा 6.12/2.479 हें. भूमि थी जिसके वह मालिक व स्वामी होकर अधिपत्य धारी थे। तथा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज थी ।

2. यह कि, आवेदकगण के पिताजी की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी विरासती नामातंरण से वारिसान के नाम आई जो इस प्रकरण में आवेदक 1 लगायत 5 तक है।

3. यह कि, तत्कालीन हल्का पटवारी से अनावेदकगणो ने मिलकर आपस में सांठगांठ कर नामातंरण कर नामातंरण पर्जी क्रं. 21//30/09/87 के अनुसार सर्वे क्रं. 17/1 रकवा 6.12/2.479 हें. जिसके मालिक आवेदकगण थे। का बटबारा अवैधानिक तरीके से दिनांक 19.02.1988 द्वारा तहसीलदार द्वारा करा लिया गया। जिससे आवेदकगण का हिस्सा आधा हो गया तथा उस समय आवेदकगण नाबा. थे। आवेदकगणो की मां भाषणेवारी अनपढ़ अशिक्षित महिला थी। उसकी निशानी अंगूठा लोन का बहाना करते हुये अनावेदकगणो द्वारा करा लिया था। इस प्रकार आवेदकगणो की आधी जमीन अवैध बटबारे द्वारा अनावेदकगणो ने अपने नाम करा ली थी जिसकी जानकारी आवेदक गणो को नही थी क्योकि सभी आवेदकगण सभी पढ़े लिखे नही है। तथा कानूनी जानकारी नही जानते थे।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / 1528–दो / 2014 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
22.02.19	अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 समझौता बावत प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ को प्रदाय की । आवेदकगण ज्ञान सिंह, बाबू, हमीर एवं अनावेदक चन्दन सिंह उपस्थित हुये उनके द्वारा आदेश पत्रिका पर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा उनके द्वारा आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। 2–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य है उनके आपसी समझौता हो गया है जिसके कारण वह निगरानी इस न्यायालय में आगे नहीं चलाना चाहते है। 3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी में समझौता होने के कारण निगरानी आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	